भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली।
वहाँ है खुशहाली॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/12/2015/एफ.सी./133

दिनॉक: 11-5-15

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : जनपद इटावा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–719 (719 पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–92) के किमी0 59.900 से 69.850 तक (एस0एस0पी0 चौराहा से यमुना पुल तक) सड़क चौड़ीकरण हेतु 7.7285 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर स्थित वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव के संबंध में।

सन्दर्भ : विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– 1006/14–2–2015–800(43)/2015, दिनांक– 30.04.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरिक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियॉ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है–

1. पृष्ठ संख्या–4 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना से सृजित होने वाले रोजगार का ब्यौरा नही दिया गया है।
2. पृष्ठ सख्या–6 के भाग–।। में वानस्पतिक घनत्व सही नही दिया गया है।
3. बिन्दु–2 के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना में संशोधन की आवश्यकता है।
4. पृष्ठ संख्या–6 के कॉलम–12 में उल्लंघन से संबंधित किसी सूचना का उल्लेख नही किया गया है।
5. प्रस्ताव में प्रदत्त कई प्रकार की वचनबद्धता प्रमाण पत्र में प्रयोक्ता अभिकरण की मुहर एवं दिनांक उल्लिखित नही है। प्रस्ताव में प्रदत्त सभी वचनबद्धता प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत करें।
6. पृष्ठ सख्या–14 में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अधूरी स्थल निरिक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी है।
7. पृष्ठ संख्या–20 पर संबंधित वनाधिकारी द्वारा स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नही प्रस्तुत किया गया है।
8. पृष्ठ संख्या–23 से 33 तक संलग्न पातन होने वाले वृक्षों की सूची में अधिकतम वृक्ष 0 से 30 सेमी0 व्यास वर्ग के हैं। जिसके विषय में सूचना/अभ्यूक्ति प्रस्तुत करें।
9. पृष्ठ संख्या–36,37,38 एवं 39 पर संलग्न प्रमाण पत्र संबंधित वनाधिकारी द्वारा पूर्ण किये जाने होते है न कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा।
10. पृष्ठ–55 पर संलग्न जिलाधिकारी, इटावा का वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नही है, इसे निर्धारित प्रपत्र में संलग्नकों के साथ प्रस्तुत किया जाए।
11. पृष्ठ–72 एवं 73 पर संलग्न डिजीटल मानचित्र अधूरा है।
12. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल को डिजीटल मानचित्र/गुगल मानचित्र पर सभी बिन्दुओं को दर्शातें हुए अक्षांश एवं देशान्तर के साथ प्रस्तुत करें। प्रस्ताव में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण को डिजीटल मानचित्र (.shp file) में दर्शातें हुए नही प्रस्तुत किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव (वन), वन अनुभाग, बापू भवन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर, उ0 प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा, उ0प्र0
4. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, इटावा, उ0 प्र0।
5. श्री आनन्द कुमार, आशुलिपिक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली ।

8/6/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}